

दिनांक 30.11.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज नेगी उपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेश बलूनी द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 62ब प्रस्तुत। सुना। न्याय हित में केवल आज के लिए स्वीकृत। बयान अन्तर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० पी० डब्लु० 4 श्री अखिलेश रावत की अंकित की गयी। परिवादी की ओर से साक्ष्य समाप्ति का पृष्ठाकन आदेश पत्र के पार्श्व पर किया गया।

पत्रावली वास्ते बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०/ अन्तर्गत धारा 437-ए दं०प्र०सं० का अनुपालन करने दिनांक 07.12.2023 को पेश हो।